**भारत सरकार**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 578**

**उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में रोजगार सृजन**

**578. सुश्री एस. जोतिमणि:**
**श्री गौरव गोगोई:**
**श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2019 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में और अधिक रोजगार सृजित करने के लिए क्षेत्र-विशेष कार्यनीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा सम्पूर्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में कार्यबल बढ़ाने के लिए कौन-सी पहले की जा रही हैं; और

(ड़) क्या सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चत करने हेतु कोई विशेष योजना है?

**उत्तर**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री**

**(श्री जीतन राम मांझी)**

(क) : 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। 22.07.2024 तक, उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई द्वारा सूचित कुल रोजगार 20.51 करोड़ है। इसका वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

| अवधि / वित्त वर्ष | उद्यम पंजीकरण पोर्टल | उद्यम असिस्ट प्लैटफ़ॉर्म | कुल |
|---|---|---|---|
| 2020-21 (01/07/2020 - 31/03/2021) | 2,72,97,074 | - | 2,72,97,074 |
| 2021-22 | 3,49,53,245 | - | 3,49,53,245 |
| 2022-23 | 4,47,02,696 | 13,32,489 | 4,60,35,185 |
| 2023-24 | 5,59,09,619 | 1,85,46,114 | 7,44,55,733 |
| 2024-25 (01/07/2020 – 22.07.2024) | 1,86,90,757 | 37,44,638 | 2,24,35,395 |
| कुल | 18,15,53,391 | 2,36,23,241 | 20,51,76,632 |

(ख) से (घ) : भारत सरकार एमएसएमई क्षेत्र सहित देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है, जिससे देश में एमएसएमई क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित होते हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई चैंपियंस योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) आदि शामिल हैं। । इसके अलावा सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई पहल की हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए ऋण की विभिन्न श्रेणियों हेतु 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना (दिनांक 01.04.2023 से लागू)।
ii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस का प्रावधान है।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नया संशोधित मानदंड।
iv. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण पोर्टल'' के जरिए एमएसएमई का पंजीकरण।
v. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन की स्थिति में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ प्रदान करना।
vi. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।
vii. श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल भारत डिजिटल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का समावेशन। पंजीकृत एमएसएमई, प्रशिक्षित श्रमशक्ति तक पहुंच तथा क्षमता निर्माण में सक्षम हैं।
viii. विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्युरिटी, बोली संबंधी सिक्युरिटी तथा लिक्विडेटेड नुकसान के 95 प्रतिशत वापसी के जरिए राहत प्रदान की गई थी। संविदाओं की अनुपालना में चूक के कारण प्रतिबंधित कर दिए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई।
ix. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत।
x. 18 व्यवसायों में संलग्न परम्परागत कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत।

(ङ) : समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, के अनुसार पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान है, एमएसएमई क्षेत्र पर भी लागू होता है।

******